रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, शनिवार, जून 19, 1971/ज्येष्ठ 29, 1893
No. 80] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 19, 1971/JYAISTHA 29, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 19th June 1971

SUBJECT: *Validity period of import licences issued under various IDA Credits.*

No. 61-ITC(PN)/71.—Attention of importers is invited to Para 2 of Public Notice No. 38-ITC(PN)/71, dated 16th April, 1971 according to which import licences issued on or after 1st July, 1970 under the IDA Credit No. 182-IN dated 24th April, 1970 (Sixth Industrial Import Projects) may be deemed to have been automatically valid for shipments/payments for a period of twelve months from the date of issue of the licence or 31st December, 1971, whichever is earlier.

2. It has been represented that on or after 1st July, 1970, a number of licences have been issued under the IDA Credit other than IDA Credit No. 182-IN dated 24th April, 1970 (Sixth Industrial Import Projects). The matter has been reconsidered and it has been decided that all IDA Credit licences issued on or after 1st July, 1970 including those under the IDA Credit other than the Sixth Industrial

Import Projects [Public Notice No. 97-ITC(PN)/71, dated 8th July, 1970] may be deemd to have been automatically valid for shipments/payments for a period of twelve months from the date of issue of the licence or 31st December, 1971 whichever is earlier.

3. Other conditions mentioned in Public Notice No. 38-ITC(PN)/71, dated 16th January, 1971 will remain unchanged.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 19 जून, 1971

विषय:—विभिन्न आई डी ए क्रेडिटों के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंसों की वैधता अवधि।

सं० 61-आई०टी०सी० (पी० एन०)/71.—आयातकों का ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या 88-आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 16-4-71 की कंडिका 2 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार आई डी ए क्रेडिट सं० 182-आई एन दिनांक 24-4-70 (छोटी औद्योगिक आयात परियोजनाएं) के अन्तर्गत 1-7-1970 को या इसके बाद जारी किए गए आयात लाइसेंसों को उनके जारी होने की तिथि से या 31-12-1971 तक जो भी पहले हो, पोतलदानों/भुगतानों के लिए 12 मास की अवधि के लिए स्वत: वैध समझा जाए।

2. इसका प्रतिनिधित्व किया गया है कि 1-7-1970 को या इसके बाद आई डी ए क्रेडिट सं० 182 आई० एन० दिनांक 24-4-1970 (छोटी औद्योगिक आयात परियोजनाएं) से भिन्न आई डी ए क्रेडिट के अन्तर्गत कई लाइसेंस जारी किए गए है। मामले पर पुन: विचार किया गया है और यह निश्चय किया गया है कि वे सभी आई डी ए क्रेडिट लाइसेंस जो 1-7-1970 को अथवा इसके बाद जारी किए गए हैं और छोटी औद्योगिक आयात परियोजनाओं [सार्वजनिक सूचना सं० 97-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 8-7-71] से भिन्न वे लाइसेंस जो आई डी ए क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए हैं, शामिल है, उनको उनके जारी होने के की तारीख से या 31-12-1971 तक जो भी पहले हो, पोत लदानों/भुगतानों के लिए 12 मास की अवधि के लिए स्वत: रूप से वैध समझा जाए।

3. सार्वजनिक सूचना सं० 38-आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 16-4-71 में उल्लिखित अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

एम०एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971